न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–02 / 2022

तारीख दायरः–01.06.2022
तारीख निर्णयः–30.04.2025

1. श्री फुल पालीवाल पुत्री दमोदर पालीवाल पत्नी हेमन्त पालीवाल निवासी 25!170 पानेरियों की मादडी मनवाखेडा उदयपुर।

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी चम्पालाल गायरी निवासी आवरडा तहसील झाडोल।
2. श्रीमती नवलीदेवी पत्नी शंकरलाल गायरी निवासी बीडा तहसील झाडोल।
3. श्री नाथु पुत्र रामा गायरी निवासी झाडोल तहसील झाडोल।
4. श्री रोशनलाल पुत्र मोहनलाल तेली निवासी 1 सज्जन नगर रोड उदयपुर।
5. श्री लक्ष्मीलाल पुत्र भागचन्द चौधरी कलाल निवासी दुधिया गणेश जी उदयपुर।

...............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित– प्रार्थीगण की ओर से– श्री गोविन्द नारायण शर्मा

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा ब्राहमणों का वाडा पटवार क्षेत्र ब्राहमणों का खेरवाडा तहसील झाडोल में आराजी नम्बर 587 रकबा 1.6000 है0 स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते है तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है व घास लकडी इत्यादि को ले जाते है। र्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत् विवाद ता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। भविष्य में मा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना तान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया कर प्रार्थी की मौजा ब्राहमणों का खेरवाडा पटवार क्षेत्र ब्राहमणों का खेरवाडा तहसील झाडोल की राजी नम्बर 587 रकबा 1.6000 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये ाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

श्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खाातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना हते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण वावजुद सूचना सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी जाने में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार या जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार जाता है एवं मौजा ब्राहमणों का खेरवाडा पटवार क्षेत्र ब्राहमणों का खेरवाडा तहसील झाडोल आराजी नम्बर 587 रकबा 1.6000 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नही होने की ति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार झाडोल को श्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/– रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना तहसीलदार झाडोल को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला उदयपुर